सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आषाढ़ 02, गुरूवार, शाके 1944-जून 23, 2022 *Asadha 02, Thursday , Saka 1944- June 23, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त(जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 23, 2022

जी.एस.आर.386 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 23-12-2021 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 23, 2021

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिश: बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ. 1(8)/एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, विद्यमान क्रम संख्यांक 59 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 60 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"

60.	ई-बाजार (ऑनलाइन प्लेटफार्म) के माध्यम से उच्च गुणवत्ता उत्पाद	इस प्रयोजन के लिए उद्योग विभाग द्वारा पैनल में रखी गयी, एमएसएमई इकाइयों द्वारा विनिर्मित उत्पाद	एक वित्तीय वर्ष में 10.00 लाख रुपये तक के माल का उपापन।

[सं.एफ.2(1)एफडी/जी एण्ड टी-एसपीएफसी/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,

संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.